

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 449/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
04/12/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री <u>जमनाकाई</u></p> <p>पिता श्री <u>भुरालाल जी भीगा</u></p> <p>निवासी- <u>लक्ष्मीपुरा तह. वल्ली वडौरह (प)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>पिपलिया खुर्द</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>234, 348/241</u> (प.ह. खेनगर तह. वल्ली)</p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>01.5500</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>पिपलिया खुर्द (प.ह. खेनगर)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>234, 348/241</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>1.5500</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000=00</u> रूपये अक्षरे <u>एक हजार रूपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (रामचन्द्र/खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p>